कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-23.01.2026

विषय:- किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में वांछित 02 नफर अभियुक्त/अभियुक्ता थाना मण्डुवाडीह पुलिस द्वारा गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा गुमशुदा/अपहृता की बरामदगी तथा वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के पर्यवेक्षण में व श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त रोहनियां के कुशल नेतृत्व में थाना मण्डुवाडीह पुलिस टीम द्वारा "**ऑपरेशन चक्रव्यूह**" के तहत मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-0309/2025 धारा 137(2)/87/142 बी0एन0एस0 थाना मण्डुवाडीह कमि0 वाराणसी से संबंधित वांछित 1.अभियुक्त रामसुख पुत्र मग्धू राम 2. अभियुक्ता काजल पुत्री रामसुख निवासीगण- घाटमपुर दक्षिणी थाना लम्भुआ जनपद सुल्तानपुर को आज दिनांक- 23.01.2026 को समय करीब 06.55 बजे लहरतारा पुल के नीचे सब्जी मण्डी थाना मण्डुवाडीह कमि0 वाराणसी से गिरफ्तार किया गया। उक्त के सम्बन्ध में थाना मण्डुवाडीह पुलिस द्वारा अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण-

दिनांक-01.11.2025 को वादिनी मुकदमा ने प्रतिवादी द्वारा वादिनी की पुत्री उम्र करीब 17 वर्ष को बहला-फुसलाकर कहीं ले जाने के सम्बंध में लिखित प्रार्थना पत्र दिया, जिसके आधार पर थाना मण्डुवाडीह में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 राहुल कुमार सिंह द्वारा संपादित की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता का विवरण-

1. रामसुख पुत्र मग्धू राम निवासी घाटमपुर दक्षिणी थाना लम्भुआ जनपद सुल्तानपुर उम्र करीब 50 वर्ष।
2. काजल पुत्री रामसुख निवासिनी घाटमपुर दक्षिणी थाना लम्भुआ जनपद सुल्तानपुर उम्र करीब 22 वर्ष।

गिरफ्तारी/बरामदगी का स्थान, दिनांक व समय-

लहरतारा पुल के नीचे सब्जी मण्डी से, आज दिनांक-23.01.2026 को समय करीब 06.55 बजे।।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-0309/2025 धारा 137(2)/87/142 बी0एन0एस0 थाना मण्डुवाडीह कमि0 वाराणसी।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 राहुल कुमार सिंह, का0 मंजीत कुमार, का0 बुद्धिसागर मिश्रा व म0का0 कंचन मिश्रा थाना मण्डुवाडीह कमि0 वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।